जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 389 / 2022 दिनांकः06 फरवरी, 2022

सेवा में,

1. निदेशक शैक्षणिक,
   विश्वविद्यालय परिसर।

2. प्राचार्य / प्राचार्या
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

विषय :–कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव,गृह(गोपन) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या– 202 / 2022–सीएक्स–3, दिनांकः 05 फरवरी, 2022 (संलग्न) के अनुक्रम में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त महाविद्यालय कोरोना गाइडलाइन्स यथा– मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय–समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अब दिनांकः 07 फरवरी, 2022 से अग्रिम आदेश तक खुले रहेंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति जी।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
3. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं कालेज लाग–इन पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया, उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

संख्या– 202/2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 5 फरवरी, 2022

विषयः–कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–100/2022–सीएक्स–3, दिनांक 16.01.2022, आदेश संख्या–132/2022–सीएक्स–3, दिनांक 22.01.2022 तथा आदेश संख्या–164/2022– सीएक्स–3, दिनांक 28.01.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 06.02.2022 तक पूर्णतया बन्द रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आन लाइन कक्षायें जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत अब इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर कक्षा–9 से उच्चतर यथा– कक्षा–9, 10, 11 व 12 व समस्त डिग्री कालेज कोरोना गाइडलाइन्स यथा–मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय–समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अब दिनांक 07.02.2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 202 (1)/2022–सीएक्स–3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।